



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266127
CG-DL-E-12092025-266127

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 585]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2025/भाद्र 21, 1947

No. 585]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2025/BHADRA 21, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2025

सं. 55/2025-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 629(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 18 एवं धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के साथ पठित धारा 157 के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और प्रकाशित सीमा शुल्क (अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना) विनियम, 2018 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले लोप की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को सीमा शुल्क (अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से तात्पर्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) से है;

(ख) 'अभिव्यक्ति "वित्त अधिनियम, 2025 की स्वीकृति की तारीख" से तात्पर्य 29 मार्च, 2025 होगा;

(ग) 'दस्तावेज या सूचना' में रासायनिक या अन्य परीक्षण का परिणाम शामिल होगा।

(2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों, जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. आवेदन.- (1) ये विनियम किसी भी अनंतिम निर्धारण पर लागू होंगे -

(क) इन विनियमों के लागू होने की तारीख तक लंबित ;अथवा

(ख) इन विनियमों के लागू होने के बाद अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक आगम पत्र या शिपिंग बिल, जैसा भी मामला हो, जिसका अनंतिम रूप से निर्धारण किया गया है, उसे अनंतिम निर्धारण का एक अलग मामला माना जाएगा।

4. अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के प्रयोजन के लिए दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने की समय-सीमा और तरीका। -

(1) जहां आयातित या निर्यातित माल पर लगाए जाने वाले शुल्क का उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से इन कारणों से निर्धारण किया जाता है कि अनंतिम निर्धारण के समय आयातक या निर्यातक द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं या सूचना नहीं दी गई है, तो उपयुक्त अधिकारी ऐसे निर्धारण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर आयातक या निर्यातक को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना या प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के विशिष्ट ब्यौरे की सूचना देगा।

(2) जहां कोई दस्तावेज या सूचना उपयुक्त अधिकारी द्वारा मांगी जाती है, वहां ऐसी सूचना या दस्तावेज उपयुक्त अधिकारी द्वारा ऐसी मांग की तारीख से दो माह के भीतर आयातक या निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे।

बशर्ते कि यदि दस्तावेज या सूचना दो माह की निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उचित अधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्वयं अथवा आयातक या निर्यातक के अनुरोध पर, दो माह से अधिक की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दे सकेगा।

बशर्ते यह भी कि कोई अधिकारी, जिसके अधीन उपयुक्त अधिकारी है, आयातक या निर्यातक द्वारा उपयुक्त अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों या सूचना को उपलब्ध कराने में असमर्थता के संबंध में किए गए अनुरोध पर, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, जैसा उचित समझे, अतिरिक्त समयावधि की अनुमति दे सकता है।

बशर्ते यह भी कि इस विनियम के अंतर्गत समय में कोई विस्तार किसी अधिकारी द्वारा, जिसके अधीन उपयुक्त अधिकारी है, अनंतिम निर्धारण की तारीख से चौदह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं दिया जा सकेगा।

(3) उप-विनियम (2) के अंतर्गत सभी दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत करने पर आयातक या निर्यातक लिखित रूप में उपयुक्त अधिकारी को सूचित करेगा कि उसने प्रस्तुत किए जाने वाले या मांगे गए सभी दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत कर दी है।

बशर्ते कि जहां आयातक या निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेज या सूचना, जैसा भी मामला हो, या उपयुक्त अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, उप-विनियम (2) के अंतर्गत अनुमत समय के भीतर उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उपयुक्त अधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों या सूचना के आधार पर अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए कार्यवाई करेगा।

5. अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ जांच समाप्त करने की समय-सीमा। - (1) जहां आयातित या निर्यातित

माल पर लगाए जाने वाले शुल्क का उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से निर्धारण किया जाता है, इस कारण कि उपयुक्त अधिकारी आगे जांच करना आवश्यक समझता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी अनंतिम निर्धारण की तारीख से चौदह महीने के भीतर जांच पूरी करेगा और निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए उपयुक्त अधिकारी को लिखित रिपोर्ट के साथ संबंधित दस्तावेज हस्तांतरित करेगा।

(2) जहां जांच के दौरान किसी दस्तावेज या सूचना की आवश्यकता हो, वहां उपयुक्त अधिकारी विनियम 2 के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर ऐसे ब्यौरे मांग सकता है।

6. 29 मार्च, 2025 तक लंबित अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ से दस्तावेजों या सूचना को प्रस्तुत करने की समय-सीमा और तरीका। -

जहां आयातित या निर्यातित माल पर लगाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अनुसार कारणों से उपयुक्त अधिकारी द्वारा अनंतिम रूप से किया जाता है और 29 मार्च, 2025 तक अंतिम रूप दिए जाने के लिए लंबित है, तब विनियमों 4 या 5 के तहत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या जांच की समाप्ति के लिए समय-सीमा, जैसा भी मामला हो, ऐसी तारीख से मानी जाएगी।

7. अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले स्वयं के अभिनिश्चय शुल्क का भुगतान। - आयातक या निर्यातक, अनंतिम निर्धारण के लंबित रहने के दौरान, अपने स्वयं के अभिनिश्चय पर, आगम पत्र या शिपिंग बिल के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी राशि का भुगतान कर सकते हैं, जिसे अंतिम रूप से निर्धारित या पुनः निर्धारित शुल्क जैसा भी मामला हो, पर समायोजित किया जाएगा।

बशर्ते कि आयातक या निर्यातक अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 3 के अनुसार, उप-धारा (2) के अंतर्गत अंतिम निर्धारण आदेश या पुनर्निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप, स्वेच्छा से भुगतान की गई उपरोक्त राशि पर व्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

8. अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने की समय-सीमा। - (1) उपयुक्त अधिकारी अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क को निम्नलिखित के तीन माह के भीतर अंतिम रूप देगा-

- (क) आयातक या निर्यातक से दस्तावेज या सूचना प्राप्त होने पर या इन विनियमों के विनियम 4 के अनुसार प्रस्तुत करने की समयावधि समाप्त होने पर; अथवा
- (ख) इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार जांच की समाप्ति, जहां देय शुल्क उसी कारण से अनंतिम रूप से निर्धारित किया गया था।

बशर्ते कि कोई भी अधिकारी जिसके अधीन उपयुक्त अधिकारी है, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, दो महीने की अतिरिक्त समय अवधि की अनुमति दे सकता है, यदि उपयुक्त अधिकारी उपरोक्त उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट तीन महीने की अवधि के भीतर अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने में सक्षम नहीं है।

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अनंतिम निर्धारण की तारीख से दो वर्ष के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप दिया जाएगा।

29 मार्च, 2025 को अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) के अंतर्गत लंबित अनंतिम निर्धारण के लिए, दो वर्ष की उक्त अवधि की गणना ऐसी तारीख से की जाएगी।

(2) जहां उपयुक्त अधिकारी उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर शुल्क का अंतिम रूप से निर्धारित करने में असमर्थ है, इस कारण से कि -

- (क) भारत से बाहर किसी प्राधिकरण से विधिक प्रक्रिया के माध्यम से सूचना मांगी जा रही है; अथवा
- (ख) उसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के ऐसे ही मामले में कोई अपील अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है; अथवा
- (ग) अपीलीय न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश जारी किया गया है; अथवा
- (घ) बोर्ड ने किसी ऐसे ही मामले में ऐसे मामले को लंबित रखने के लिए विशिष्ट निदेश या आदेश जारी किया है; अथवा

(ड) आयातक या निर्यातक का निपटान आयोग या अंतरिम बोर्ड के समक्ष कोई आवेदन लंबित है,

उपयुक्त अधिकारी संबंधित आयातक या निर्यातक को अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप न दिए जाने का कारण बताएगा और ऐसे मामले में, उप-विनियम (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अनंतिम रूप से किए गए निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष का समय अनंतिम निर्धारण की तारीख से नहीं बल्कि उस तारीख से लागू होगा जब ऐसा कारण समाप्त हो जाता है।

(9) अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने का तरीका। - (1) अनंतिम निर्धारण को अधिनियम की धारा 18 के तहत अंतिम रूप दिया जाएगा।

(2) जहां अंतिम मूल्यांकन अनंतिम मूल्यांकन के विपरीत हो, वहां समुचित अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आदेश पारित करेगा।

(3) जहां अंतिम मूल्यांकन अनंतिम मूल्यांकन की पुष्टि करता है, वहां उचित अधिकारी आयातक या निर्यातक से रिकॉर्ड पर ऐसे अंतिम मूल्यांकन की स्वीकृति सुनिश्चित करने के बाद उसे अंतिम रूप देगा और आयातक या निर्यातक को ऐसे अंतिम मूल्यांकन की तारीख के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा।

(4) जहां आयातक या निर्यातक को पहले से भुगतान की गई राशि के समायोजन के बाद अंतिम रूप से निर्धारित या पुनः निर्धारित राशि की कमी का भुगतान करना है, जैसा भी मामला हो, आगम पत्र या शिपिंग बिल को राशि के भुगतान के लिए वापस किया जा सकता है।

बशर्ते कि, आयातक या निर्यातक अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 2 के अनुसार, के अंतर्गत अंतिम निर्धारण आदेश या पुनर्निर्धारण आदेश के परिणामस्वरूप, इस प्रकार भुगतान की गई उपरोक्त राशि पर ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

10. अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के बाद समाप्त किए जाने का तरीका। - (1) विनियम 9 के अंतर्गत अनंतिम रूप से किए गए निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने पर, जहां -

(क) अंतिम निर्धारण ने अनंतिम निर्धारण की पुष्टि कर दी है; अथवा

(ख) घरेलू उपभोग या निर्यात के मामले में, जहां आगम पत्र या शिपिंग बिल भुगतान के लिए वापस कर दिया गया है, वहां ब्याज सहित शुल्क का पूरा भुगतान कर दिया गया है; अथवा

(ग) आयातक ने गोदाम में रखे माल के मामले में अतिरिक्त शुल्क के संबंध में स्वयं को बाध्य करने वाला उपयुक्त बांड निष्पादित कर दिया है,

अनंतिम निर्धारण के समय प्रतिभूति सहित यदि कोई हो, निष्पादित बांड, को रद्द कर दिया जाएगा या पुनः जमा कर दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और यदि कोई बकाया राशि लंबित नहीं है, तो प्रतिभूति जमा भी वापस कर दी जाएगी।

(2) जहां शुल्क, ब्याज, जुर्माना, शास्ति या कोई अन्य देय राशि नब्बे दिन से अधिक समय से भुगतान नहीं किया गया है, जिसका अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (2) के अधीन निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात भुगतान किया जाना है और देय राशि वसूली के लिए अंतिम रूप से तय हो गई है, तो बकाया राशि, जिसका अब तक भुगतान नहीं किया गया है, को अनंतिम निर्धारण के समय प्राप्त प्रतिभूति, यदि कोई हो, में से समायोजित की जाएगी या आयातक या निर्यातक को सूचना देते हुए अधिनियम की धारा 142 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त अधिकारी द्वारा केन्द्रीय सरकार को ब्याज की राशि सहित देय राशि के रूप में वसूल की जाएगी।

(3) जहां आयातक या निर्यातक प्रतिदाय का हकदार है, वहां अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रतिदाय की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (4) और (5) के अनुसार की जाएगी।

11. अनंतिम निर्धारण के लिए समय-सीमा को बढ़ाना। - अधिनियम के विनियम 4, 5, 6 या 7 में दी गई समय-सीमा के बावजूद, सीमा शुल्क आयुक्त, पर्याप्त कारण दर्शाए जाने और लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने पर, अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा 1 ख के प्रथम परंतुक के अनुसार अनंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्ष की अवधि को एक वर्ष के अतिरिक्त समय तक बढ़ा सकते हैं।

12. शास्ति । - आयातक अथवा निर्यातक अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि या सीमा शुल्क दलाल, जो इन विनियमों के किसी परंतुक का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन को बढ़ावा देता है या इन विनियमों के किसी प्रावधान का पालन करने में विफल रहता है, वह अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों अथवा विनियमों या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 158 की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अंतर्गत निर्दिष्ट राशि की सीमा तक शास्ति के लिए उत्तरदायी होगा।

[फा. सं. 450/76/2018-सीमा शुल्क IV]

अनुरिमा शर्मा, निदेशक (सीमा शुल्क)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2025

No. 55/2025-Customs (N.T.)

G.S.R. 629(E).— In exercise of the powers conferred by clause (d) of section 157 read with section 18 and clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the Customs (Finalisation of Provisional Assessment) Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, –

(a) ‘Act’ means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) ‘date of assent of the Finance Act, 2025, shall mean the 29th day of March, of 2025;

(c) ‘documents or information’ shall include the result of chemical or other test.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application. – (1) These regulations shall apply to any provisional assessment -

(a) pending as on the date of enforcement of these regulations; or

(b) assessed provisionally after the enforcement of these regulations.

Explanation.— For the purposes of these regulations, each bill of entry or shipping bill, as the case may be, that has been assessed provisionally shall be treated as a separate case of provisional assessment.

4. Time-limit and manner of submission of documents or information for the purpose of finalisation of provisional assessment. – (1) Where duty leviable on imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reasons that, the necessary documents have not been produced or information has not been furnished by the importer or the exporter at the time of provisional assessment, then the proper officer shall within fifteen days from the date of such assessment, inform the importer or the exporter, in writing, the specific details of the information to be furnished or the documents to be produced.

(2) Where any document or information is sought by the proper officer, then such information or documents shall be made available by the importer or the exporter within two months from the date of such requisition by the proper officer.

Provided that the proper officer may, for reasons to be recorded in writing, allow a further period not exceeding two months, on his own or at the request of the importer or the exporter, in case the documents or information are not made available within the specified time of two months.

Provided further that the an officer to whom the proper officer is subordinate, may allow an additional time period as deemed fit, for reasons to be recorded in writing, on request of the importer or the exporter regarding his inability to provide those documents or information as requested by the proper officer.

Provided also that no extension in time under this regulation may be allowed by an officer to whom the proper officer is subordinate beyond fourteen months from the date of provisional assessment.

(3) On submission of all the documents or information under sub-regulation (2), the importer or the exporter shall inform the proper officer in writing that he has submitted all the documents or information to be furnished or requisitioned.

Provided that where the documents or information required to be furnished by the importer or the exporter, as the case may be, or requisitioned by the proper officer are not made available within the time allowed under sub-regulation (2), the proper officer shall proceed to finalise the provisional assessment on the basis of documents or information as available on the record.

5. Time-limit to conclude enquiry for the purpose of finalisation of provisional assessment.- (1) Where duty leviable on the imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reason that the proper officer deems it necessary to make further enquiry then the officer of customs shall complete the enquiry and transfer the relevant documents along with the report in writing to the proper officer for finalization of assessment, within fourteen months from the date of provisional assessment.

(2) Where any document or information is required during the enquiry, the proper officer may seek such details within the time prescribed under regulation 2.

6. Time-limit and manner of submission of documents or information for the purpose of finalisation of provisional assessment pending as on the 29th March, 2025.-

Where duty leviable on imported or export goods is assessed provisionally by the proper officer for the reasons as per sub-section (1) of section 18 the Act and is pending for finalisation as on the 29th March, 2025, then time-limit for submission of documents or conclusion of enquiry under regulations 4 or 5, as the case may be, shall be reckoned from such date.

7. Payment of duty of own ascertainment before finalisation of provisional assessment.- Importer or exporter, may pay any amount electronically against the bill of entry or shipping bill, as the case may be, on his own ascertainment, during the pendency of the provisional assessment, which shall be adjusted against the duty finally assessed or re-assessed, as the case may be.

Provided that importer or exporter is also liable to pay interest, on the above amount so paid voluntarily, consequent to the final assessment order or re-assessment order under sub-section (2) in terms of sub-section 3 of the section 18 of the Act.

8. Time-limit for finalisation of provisional assessment. – (1) The proper officer shall finalise the duty provisionally assessed, where it is possible to do so, within three months of –

- (a) receipt of documents or information from the importer or the exporter or on the expiry of the time for submission in accordance with regulation 4 of these regulations; or
- (b) conclusion of enquiry in accordance with regulation 5 of these regulations, where the duty leviable was assessed provisionally for that reason.

Provided that any officer to whom the proper officer is subordinate may allow, for reasons to be recorded in writing, a further time period of two months at a time, in case the proper officer is not able to finalise the provisional assessment within the period of three months as specified in sub-regulation (1).

Provided further that the assessment shall be finalised within two years from the date of the provisional assessment under sub-section (1) of section 18 of the Act.

Provided also that for provisional assessment pending under sub-section (1) of section 18 of the Act, as on the 29th March, 2025, the said period of two years shall be reckoned from such date.

(2) Where the proper officer is unable to assess the duty finally within the time specified under sub-regulation (1), for the reason that –

- (a) an information is being sought from an authority outside India through a legal process; or
- (b) an appeal in a similar matter of the same person or any other person is pending before the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court; or
- (c) an interim order of stay has been issued by the Appellate Tribunal or the High Court or the Supreme Court; or

(d) the Board has, in a similar matter, issued specific direction or order to keep such matter pending; or

(e) the importer or exporter has a pending application before the Settlement Commission or the Interim Board, the proper officer shall inform the importer or exporter concerned, the reason for non-finalisation of the provisional assessment and in such case, time of two years for finalisation of assessment done provisionally, specified under sub-regulation (1), shall apply not from the date of provisional assessment but from the date when such reason ceases to exist.

9. Manner of finalisation of provisional assessment. – (1) The provisional assessment shall be finalised as provided under of section 18 of the Act.

(2) Where the final assessment is contrary to the provisional assessment, the proper officer shall pass a speaking order following principles of natural justice.

(3) Where the final assessment confirms the provisional assessment, the proper officer shall finalise the same after ascertaining the acceptance of such finalisation from the importer or the exporter on record and inform the importer or exporter in writing of the date of such finalisation.

(4) Where the importer or exporter is to pay the deficiency of the amount finally assessed or re-assessed, as the case may be, after adjustment of the amount already paid, the bill of entry or the shipping bill may be returned for payment of the amount.

Provided that importer or exporter is also liable to pay interest, on the above amount so paid, consequent to the final assessment order or re-assessment order as provided under sub-section (2), of section 18 of the Act.

10. Manner of closure subsequent to the finalisation of provisional assessment. - (1) On finalisation of Assessment done provisionally under regulation 9, where -

(a) the final assessment has confirmed the provisional assessment; or

(b) the duty along with the interest has been paid in full, in case of home consumption or exportation, where the bill of entry or shipping bill has been returned for payment; or

(c) the importer has executed appropriate bond binding himself in relation to the excess duty, in case of warehoused goods,

the Bond executed at the time of provisional assessment with security, if any, shall be cancelled or recredited, as the case may be, and the security shall also be returned, if there are no pending dues.

(2) Where the duty, interest, fine, penalty or any other sum due has not been paid for more than ninety days, which is due to be paid after the finalisation of the assessment under sub-section (2) of section of 18 of the Act and the sum due has attained finality for recovery, then the sum due which remains unpaid shall be adjusted from the security, if any, obtained at the time of provisional assessment, or shall be recovered as the sum due, including the amount of interest to the Central Government by the proper officer in accordance with the provisions of section 142 of the Act, under intimation to the importer or the exporter.

(3) Where the importer or exporter is entitled to a refund, after the finalisation of provisional assessment, the refund shall be processed in terms of sub-sections (4) and (5) of section 18 of the Act.

11. Extension of time-limit for provisional assessment. - Notwithstanding the time-limit provided in regulations 4, 5, 6 or 7, the Commissioner of Customs may, on sufficient cause being shown and reasons to be recorded in writing, extend the period of two years for finalisation of provisional assessment by an additional time of one year in terms of the first proviso to sub-section 1B of section 18 of the Act.

12. Penalty. - The importer or exporter or his authorised representative or Customs Broker who contravenes any of the provisions of these regulations or abets such contravention, or fails to comply with any provisions of these regulations, shall be liable to a penalty to an extent of the amount provided under clause (ii) of sub-section (2) of section 158 of the Act, without prejudice to any other action which may be taken under the Act, rules or regulations made thereunder or under any other law for the time being in force.

[F. No. 450/76/2018-CusIV]

ANURIMA SHARMA, Director (Customs)